राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय

हिंदी दिवस के अवसर पर

कुलपति की अपील

प्रिय सहकर्मियो,

हिंदी दिवस (**14** सितंबर) के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई। आप जानते ही हैं कि संविधान सभा ने **14** सितंबर **1949** को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। उस दिन की याद में हर साल भारतीय भाषाओं के सौहार्द्र दिवस के रूप में **14** सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय में हिंदी पखवाड़ा **(13-27** सितम्बर **2013)** का आयोजन किया जा रहा है।

हमारे संविधान में देश के हर समुदाय की भाषा और संस्कृति के स्वायत्त विकास के लिए व्यापक प्रावधान हैं। हर एक नागरिक को अपनी भाषा में स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है। इस प्रकार संविधान में राजभाषा की अवधारणा अत्यंत ही व्यापक और लोकतांत्रिक है। हर राज्य की अपनी राजभाषा है। संघ की राजभाषा हिंदी है। संविधान में स्पष्ट रूप से यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी भारतीय भाषाओं के बहुप्रचलित शब्दों, पदों, रूपों और शैलियों को अपनाते हुए राजभाषा हिंदी का विकास और प्रसार किया जाए ताकि वह भारत की साझी संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इस प्रकार सभी भारतीय भाषाओं को समान महत्व दिया गया है।

हम विश्वविद्यालय के कामकाज में सतत हिंदी का प्रयोग करते आ रहे हैं | इसमें आपका सहयोग सराहनीय है| मैं हिंदी दिवस के अवसर पर आपसे अपील करता हूं कि आप विश्वविद्यालय के कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करें।

आर. गोविंदा
कुलपति, न्यूपा